

कार्यालय प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, रावतभाटा

जिला चित्तौड़गढ़ (राजस्थान)

Email : rawatbhatacollege2016@gmail.com

क्रमांक:- 408

दिनांक:- 26.06.24

विज्ञप्ति

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक एफ 1 (02) विद्या सम्बल / आकाशि/गै. फै./ दिशा निर्देश / 21-00638 / 16 पार्ट-1/ दिनांक 21.06.2024 तथा वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक प.6 (2) वित्त / साविलेनि / 2021 दिनांक 30.03.2021 एवं 07.08.2023 की अनुपालना में राज्य सरकार द्वारा घोषित विद्या संबल योजना के अंतर्गत सत्र प्रणाली हेतु 24 सप्ताह अथवा 28.02.2025 तक जो भी पहले हो एवं सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत सेमेस्टर की परीक्षा प्रारम्भ अथवा पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक, जो भी पहले हो अध्यापन हेतु गैस्ट फैकल्टी आमंत्रित किये जाने हैं लेकिन नियमित नियुक्ति होने अथवा कार्यव्यवस्थार्थ शिक्षक लगने पर गैस्ट फैकल्टी की व्यवस्था स्वतः समाप्त मानी जावेगी | विभाग के राजकाज नम्बर 8029676 दिनांक 21.06.2024 में वर्णित शर्तों के अध्याधीन रूप 800/- प्रति कालांश मानदेय (अधिकतम 14 घंटे प्रति सप्ताह) के आधार पर गैस्ट फैकल्टी (पूर्णतया अस्थायी) के रूप में निम्नलिखित महाविद्यालयों में अध्यापन कार्य करवाने हेतु अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र दिनांक 01.07.2024 सायंकाल 03.00 बजे तक निम्नतालिका अनुसार जमा करवाने हेतु आमंत्रित किये जाते हैं।

क्र.स.	महाविद्यालय का नाम	विषय (प्रत्येक विषय में एक पद)	आवेदन पत्र जमा कराने का स्थान
01	राजकीय महाविद्यालय रावतभाटा	अर्थशास्त्र, रसायनशास्त्र, भौतिकशास्त्र, गणित, प्राणीशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र, ए.वी.एस.टी, व्या.प्रशासन, ई.ए.एफ.एम., हिंदी,	राजकीय महाविद्यालय रावतभाटा
02	राज.कृषि महाविद्यालय रावतभाटा	Horticulture, Agronomy, Soil Science, Genetics & Plant breeding, Entomology	राजकीय महाविद्यालय रावतभाटा

नियमानुसार योग्यताधारी अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं तथा पात्र अभ्यर्थी मूल आवेदन पत्र व्यक्तिशः या डाक द्वारा भेज सकते हैं। विस्तृत जानकारी हेतु आयुक्तालय की वेबसाइट <https://hte.rajasthan.gov.in/college/gcrawatbhata> का अवलोकन करे |

राजकीय
प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय
जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
रावतभाटा